विधान परिषद् के द्वितीय सत्र–2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
19(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद–गाजियाबाद में अवैध रूप से फ्लेटों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों से फ्लेटों को क़ब्जा मुक्त कराते हुए उक्त प्रकरण की अन्य जनपद से जाँच करा कर पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाये जाने हेतु श्रीचन्द शर्मा, सभापति विधान मण्डल सदस्यों की आवासीय परिवाद संबंधी जाँच समिति विधान परिषद उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2022 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रकरण में अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?	मा0 सभापति के पत्र दिनांक 15.07.2022 के क्रम में सन्दर्भित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, नगर (प्रथम), गाजियाबाद द्वारा जाँच सम्पादित की गयी। आख्यानुसार आवेदक श्री मोहित कुमार द्वारा जी0डी0ए0 से कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुए बिना ही फ्लैट को विक्रय करने का एग्रीमेंट प्रतिपक्षी श्री सचिन को करना और रूपये 09.00 लाख एडवांस के रूप में ले लेना तथा उसे जी0डी0ए0 से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होने की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा फ्लैट को प्रतिपक्षी को रहने के लिये देना पाया गया। अब बिना किसी वैध कारण के रजिस्ट्री करने से इन्कार करने के कारण दोनों पक्षों में फ्लैट नं0–डी–101 प्रथम तल, राजनगर, रेजीडेन्सी, राजनगर एक्सटेंशन के क्रय विक्रय को लेकर विवाद है, जो सिविल प्रकृति का है।
(ग) क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार उपरोक्त प्रकरण की जाँच अन्य जनपद से कराकर पीड़ितों को न्याय दिला दिया गया है?	उपरोक्त प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, बल्कि पुलिस अधीक्षक, नगर प्रथम गाजियाबाद द्वारा की गयी जाँच के दौरान आवेदक श्री मोहित कुमार के द्वारा अपने कथनों में अभियुक्त श्री प्रदीप के विरुद्ध थाना नन्दग्राम गाजियाबाद पर मु0अ0सं0–541/2022 धारा–420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अभियोग दिनांक 07.06.2022 को पंजीकृत कराया गया है, जिसमें साक्ष्य के आधार पर दिनांक 20.06.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।
(घ) यदि नहीं, तो कब तक उक्त प्रकरण की जाँच अन्य जनपद से कराकर पीड़ितों को न्याय दिलायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

K–GO 2021—